the pioneer
NEW DELHI | FRIDAY | APRIL 20, 2018

48 MPs, MLAs have cases of crime against women

PNS ■ NEW DELHI

At least 48 MPs and MLAs have declared cases related to crime against women, with BJP having the highest number of such politicians at 14 followed by Shiv Sena (7) and Trinamool Congress (6). The list includes Unnao rape case where BJP MLA Kuldeep Singh Sengar is an accused. The BJP in power in 21 of the 29 States has, 14, the highest number of lawmakers and Members of Parliament, with pending cases of crimes against women against them. In the last five years, the BJP has given tickets to 48 candidates with criminal cases.

As per the report of Association for Democratic Reforms (ADR), 48 MLAs and 3 MPs have declared cases of crime against women such as charges related to assault of woman with intent to outrage her modesty, kidnapping, abducting or inducing woman to compel her to marriage, rape, domestic violence and trafficking. Of them, 14 of whom are from the BJP and across the board, 334 candidates with 'tainted' backgrounds were given tickets by recognised political parties. The report says 33 per cent of the lawmakers with declared criminal cases are facing charges related to crimes against women. Among States, Maharashtra has the highest number of MPs and MLAs (12), followed by West Bengal (11), Odisha and Andhra Pradesh each with five MPs and MLAs who have declared cases related to crime against women.

The report is based on an analysis of 4,845 out of 4,896 election affidavits of current MPs and MLAs. This includes 768 out of 776 affidavits of MPs and 4,077 out of 4,120 MLAs across the country.

"Out of 1,580 (33 per cent) MPs/MLAs analysed with declared criminal cases, 48 have declared cases related to crime against women," it said.

"All major political parties give tickets to candidates with cases of crime against women especially rape and therefore hindering the safety and dignity of women as citizens.

"These are serious cases where charges have been framed and cognisance have been taken by the courts. Hence, political parties have been in a way abetting to circumstances that lead to such events that they so easily but vehemently condemn in Parliament," the report said.

According to the report, in the last five years, recognised parties have given tickets to 26 candidates who had declared cases related to rape. During this period, 14 independent candidates with declared cases related to rape have contested for Lok Sabha, Rajya Sabha and State Assembly elections. As per the analysis, 327 candidates who had declared cases related to crime against women were given tickets by recognised political parties. Also, 118 independent candidates with declared cases related to crime against women had contested for Lok Sabha, Rajya Sabha and State Assembly elections in the last five years.

> As per the report of Association for Democratic Reforms, BJP has the highest number of such politicians at 14 followed by Shiv Sena (7) and Trinamool Congress (6)

Among major parties, in the last five years, 47 candidates with declared cases related to crime against women were given tickets by BJP. As many as 35 such candidates were given tickets by BSP, followed by 24 from Congress. The candidates had contested in Lok Sabha, Rajya Sabha and state assembly polls. The report also noted that among states, in the last five years, Maharashtra had the highest number of such candidates at 65, followed by Bihar (62) and West Bengal (52) (including independents).

DNA
DAILY NEWS & ANALYSIS
NEW DELHI | FRIDAY, APRIL 20, 2018

'BJP has most MPs, MLAs with cases of crime against women'

New Delhi: At least 48 MPs and MLAs have declared cases related to crime against women, with the BJP having the highest number of such politicans at 12, a report said on Thursday amid a nationwide outrage over rape incidents, including in UP's Unnao where a ruling party lawmaker is an accused.

"Out of 1,580 (33 per cent) MPs/MLAs analysed with declared criminal cases, 48 have declared cases related to crime against women," as per the report by Association for Democratic Reforms (ADR).

This includes 45 MLAs and 3 MPs, who have declared cases of crime against women such as charges related to assault of woman with intent to outrage her modesty, kidnapping, abducting or inducing woman to compel her to marriage, rape, domestic violence and trafficking, the Delhi-based think-tank said.

Giving party-wise details, the report said that BJP has the highest number of MPs and MLAs ie 12, followed by Shiv Sena (7) and Trinamool Congress (6).

The report is based on an analysis of 4,845 out of 4,896 election affidavits of current MPs and MLAs. This includes 768 out of 776 affidavits of MPs and 4,077 out of 4,120 MLAs across the country.

"All major political parties give tickets to candidates with cases of crime against women especially rape and therefore hindering the safety and dignity of women as citizens.

"These are serious cases where charges have been framed and cognisance have been taken by the courts. Hence, political parties have been in a way abetting to circumstances that lead to such events that they so easily but vehemently condemn in Parliament," the report said.

ADR and National Election Watch (NEW) have recommended that candidates with serious criminal background should be debarred from contesting elections. —PTI

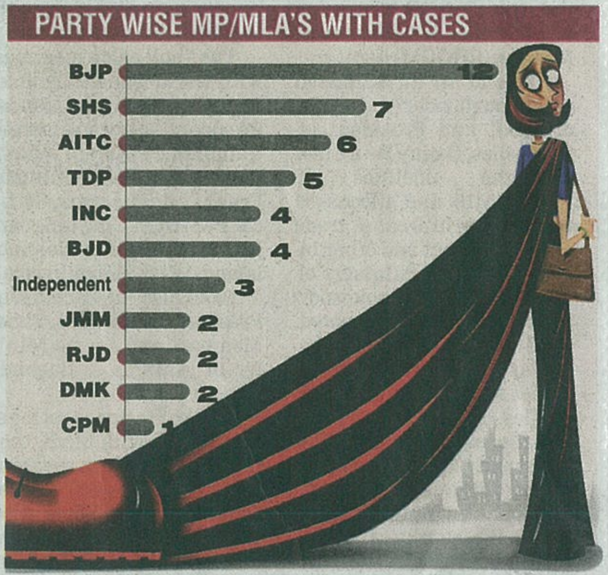

THE ECONOMIC TIMES | NEW DELHI / GURGAON | FRIDAY | 20 APRIL 2018

Anti-Women Cases Against 48 MLAs, MPs

A total of 45 MLAs and three MPs faced cases related to crimes against women at the time of their election, according to ADR, which analysed poll affidavits of 768 MPs and 4,077 MLAs. BJP had the highest number of such MPs and MLAs (12) followed by Shiv Sena (7) and Trinamool (6), according to the report, which comes in the backdrop of countrywide outrage against growing incidents of crime against women. Here's a snapshot...

MP/MLAs with cases related to crimes against Women...

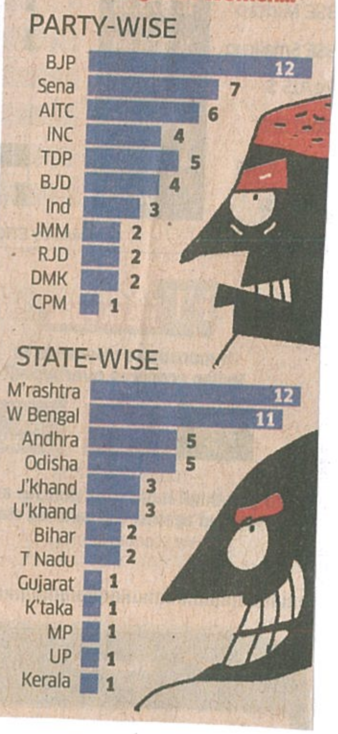

विराट वैभव
नई दिल्ली, शुक्रवार, 20 अप्रैल 2018

स्त्री के प्रति अपराध पर रिपोर्ट

48 एमपी, एमएलए पर स्त्रियों के प्रति अपराध के केस दर्ज

एजेंसी ■ नई दिल्ली

देश के करीब 48 सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध के मामले दर्ज हैं और इनमें भाजपा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा 12 है। बलात्कार की घटनाओं को लेकर देश भर में जारी आक्रोश के बीच एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इनमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव का मामला शामिल है जिसमें सत्तारूढ़ दल (भाजपा) का एक विधायक आरोपी है। साथ ही जम्मू-कश्मीर के कठुआ और गुजरात के सूरत में हुई बलात्कार की घटनाएं भी शामिल हैं। एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा करने वाले 1,580 (33 प्रतिशत) सांसदों/विधायकों में से 48 ने अपने खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध के मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इनमें 45 विधायक और तीन सांसद शामिल हैं जिन्होंने इस तरह के अपराधों से जुड़े मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इन मामलों में शील भंग करने के इरादे से किसी महिला पर हमला, अपहरण या शादी, बलात्कार, घरेलू हिंसा एवं मानव तस्करी के लिए मजबूर करने से संबंधित मामले शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पार्टीवार भाजपा

▶▶ *राजनीतिक दल एक तरह से इस तरह की घटनाओं से जुड़ी परिस्थितियों को बढ़ावा देते हैं, जबकि वह संसद में इन्हीं घटनाओं की जोरदार तरीके से निंदा करते हैं।*

के सांसदों/विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा (12) है। इसके बाद शिवसेना (सात) और तृणमूल कांग्रेस (छह) आते हैं। रिपोर्ट मौजूदा सांसदों/विधायकों के 4,896 चुनाव हलफनामे में से 4,845 के विश्लेषण पर आधारित है। इनमें सांसदों के 776 हलफनामों में से 768 और विधायकों के 4,120 हलफनामों में से 4,077 का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में कहा गया, सभी प्रमुख राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध खासकर बलात्कार के मामले दर्ज हैं।

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 20 अप्रैल, 2018

महिलाओं के प्रति अपराध में पीछे नहीं हैं माननीय

देश के करीब 48 सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध के मामले दर्ज हैं

एजेंसी। नई दिल्ली

देश के करीब 48 सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध के मामले दर्ज हैं और इनमें भाजपा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा 12 है। बलात्कार की घटनाओं को लेकर देश भर में जारी आक्रोश के बीच एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इनमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव का मामला शामिल है जिसमें सत्तारूढ़ दल (भाजपा) का एक विधायक आरोपी है। साथ ही जम्मू - कश्मीर के कठुआ और गुजरात के सूरत में हुई बलात्कार की घटनाएं भी शामिल हैं।

एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा करने वाले 1,580 (33 प्रतिशत) सांसदों/विधायकों में से 48 ने अपने खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध के मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इनमें 45 विधायक और तीन सांसद शामिल हैं जिन्होंने इस तरह के अपराधों से जुड़े मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इन मामलों में शील भंग करने के इरादे से किसी महिला पर हमला, अपहरण या शादी, बलात्कार, घरेलू हिंसा एवं मानव तस्करी के लिए मजबूर करने से संबंधित मामले शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया कि पार्टीवार भाजपा के सांसदों/विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा (12) है। इसके बाद शिवसेना (सात) और तृणमूल कांग्रेस (छह) आते हैं। रिपोर्ट मौजूदा सांसदों/ विधायकों के 4,896 चुनाव हलफनामे में से 4,845 के विश्लेषण पर आधारित है। इनमें सांसदों के 776 हलफनामों में से 768 और विधायकों के 4,120 हलफनामों में से 4,077 का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में कहा गया, सभी प्रमुख राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध खासकर बलात्कार के मामले दर्ज हैं और इस तरह से वे नागरिकों के रूप में महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा को प्रभावित कर रहे हैं।

इसमें कहा गया कि ऐसे गंभीर मामले हैं जिनमें अदालत ने आरोप तय कर दिए और संज्ञान लिया। इसलिए राजनीतिक दल एक तरह से इस तरह की घटनाओं से जुड़ी परिस्थितियों को बढ़ावा देते हैं जबकि वह संसद में इन्हीं घटनाओं की जोरदार तरीके से निंदा करते हैं। राज्यवार दृष्टि से महाराष्ट्र में इस तरह के सांसदों । विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा (12) है और इसके बाद क्रमश : पश्चिम बंगाल (11), ओडिशा (पांच) और आंध्र प्रदेश (पांच) आते हैं। एडीआर और नेशनल एलेक्शन वॉच (न्यू) ने सिफारिश की है कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक हो। साथ ही राजनीतिक दल उस मानदंड का खुलासा करे जिसके आधार पर उम्मीदवारों को टिकट दिए जाते हैं तथा सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई तेज की जाए एवं उनमें समयबद्ध तरीके से फैसला हो।

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पांच सालों में मान्यता प्राप्त दलों ने ऐसे 26 उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जिनके खिलाफ बलात्कार से जुड़े मामले दर्ज हैं। इसी समयावधि में बलात्कार से जुड़े मामले में नामजद 14 निर्दलीय उम्मीदवारों ने लोकसभा, राज्यसभा और प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़े। विश्लेषण के मुताबिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने अपने खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध से जुड़े मामले दर्ज होने की घोषणा करने वाले 327 उम्मीदवारों को टिकट दिए। साथ ही पिछले पांच सालों में लोकसभा, राज्यसभा और प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 118 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज होने की घोषणा की।

प्रमुख दलों में पिछले पांच सालों में भाजपा ने इस तरह के सबसे ज्यादा 47 उम्मीदवारों को टिकट दिए। इसके बाद बसपा ने सर्वाधिक 35 और कांग्रेस ने ऐसे 24 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पिछले पांच सालों में महाराष्ट्र में इस तरह के सबसे ज्यादा (65) उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इसके बाद बिहार (62) और पश्चिम बंगाल (52) आते हैं। इनमें निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं।

हरिभूमि
नई दिल्ली, शुक्रवार 20 अप्रैल 2018
haribhoomi.com

राजनेताओं के दामन में दाग, एडीआर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

महिलाओं संग अपराध करने वालों में 48 माननीय!

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

- 1,580 सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले
- दुष्कर्म की घटनाओं पर देशभर में आक्रोश के बीच सामने आई रिपोर्ट

देश के करीब 48 सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध के मामले दर्ज हैं। इनमें भाजपा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा 12 है। बलात्कार की घटनाओं को लेकर देशभर में जारी आक्रोश के बीच एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है। इनमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव का मामला शामिल है, जिसमें सत्तारूढ़ दल भाजपा का एक विधायक आरोपी है। साथ ही जम्मू-कश्मीर के कठुआ और गुजरात के सूरत में हुई बलात्कार की घटनाएं भी शामिल हैं। एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा करने वाले 1,580 (33 प्रतिशत) सांसदों/विधायकों में से 48 ने अपने खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध के मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इनमें 45 विधायक और तीन सांसद शामिल हैं जिन्होंने इस तरह के अपराधों से जुड़े मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इन मामलों में शील भंग करने के इरादे से किसी महिला पर हमला, अपहरण या शादी, बलात्कार, घरेलू हिंसा एवं मानव तस्करी के लिए मजबूर करने से संबंधित मामले शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पार्टीवार भाजपा के सांसदों/विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा (12) है। इसके बाद शिवसेना (सात) और तृणमूल कांग्रेस (छह) आते हैं।

327 उम्मीदवारों को टिकट

विश्लेषण के मुताबिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने अपने खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध से जुड़े मामले दर्ज होने की घोषणा करने वाले 327 उम्मीदवारों को टिकट दिए। पिछले पांच सालों में लोकसभा, राज्यसभा और प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 118 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज होने की घोषणा की।

भाजपा में सबसे ज्यादा

प्रमुख दलों में पिछले 5 सालों में भाजपा ने सबसे ज्यादा 47 उम्मीदवारों को टिकट दिए। इसके बाद बसपा ने सर्वाधिक 35 और कांग्रेस ने ऐसे 24 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा। पिछले पांच सालों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा (65) उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा।

इन पर रेप का मामला

- रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश से टीडीपी विधायक के जी सूर्यनारायण, गुजरात से भाजपा के जेठाभाई जी. अहीर और बिहार से राजद के गुलाब यादव ने रेप से जुड़े केस की जानकारी अपने शपथ पत्र में दी। इसी तरह, पिछले 5 साल में, मान्यता प्राप्त पार्टियों के 26 उम्मीदवारों ने रेप से जुड़े केस दर्ज होने की जानकारी दी।

हलफनामों का विश्लेषण

- रिपोर्ट मौजूदा सांसदों/विधायकों के 4,896 चुनाव हलफनामे में से 4,845 के विश्लेषण पर आधारित है। इनमें सांसदों के 776 हलफनामों में से 768 और विधायकों के 4,120 हलफनामों में से 4,077 का विश्लेषण किया गया।

THE ECONOMIC TIMES नई दिल्ली शुक्रवार 20 अप्रैल 2018

48 सांसदों, विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले: ADR

[पीटीआई | नई दिल्ली]

देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का विरोध तेज होने के बीच 48 सांसदों, विधायकों के इन अपराधों में शामिल होने का खुलासा हुआ है। ऐसे नेताओं में सबसे अधिक (12) बीजेपी के हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार, 'आपराधिक मामलों वाले 1,580 (33 पर्सेंट) सांसदों/विधायकों में से 48 ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की घोषणा की है।'

महिलाओं के खिलाफ अपराध वाले मामलों का सामना करने वाले 45 विधायक और 3 सांसद हैं। इन पर अपहरण, बलात्कार और घरेलू हिंसा जैसे आरोप हैं। रिपोर्ट में पार्टी के अनुसार जानकारी देते हुए बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिहाज से बीजेपी के सबसे अधिक 12 सांसद और विधायक हैं। इसके बाद शिव सेना (7) और तृणमूल कांग्रेस (6) हैं। यह रिपोर्ट मौजूदा सांसदों और विधायकों के 4,896 चुनावी हलफनामों में से 4,845 के विश्लेषण पर आधारित है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'सभी बड़े राजनीतिक दलों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध विशेषतौर पर बलात्कार जैसे मामलों में शामिल उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। इनमें ऐसे गंभीर मामले भी शामिल हैं जिनमें आरोप तय किए गए हैं और अदालतों ने संज्ञान लिया है।' राज्यों में महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में शामिल सांसदों और विधायकों की सबसे अधिक संख्या (12) है। इसके बाद पश्चिम बंगाल (11), ओडिशा और आंध्र प्रदेश प्रत्येक पांच सांसद और विधायक हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले पांच वर्षों में मान्यता प्राप्त दलों ने 26 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जिन्होंने बलात्कार से जुड़े मामलों की घोषणा की है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अन्य गंभीर मामलों में शामिल लोगों को भी टिकट दिए गए हैं। ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) ने आपराधिक पृष्ठभूमि रखने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दलों को उस मापदंड का खुलासा करना चाहिए जिसके आधार पर उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की जल्द सुनवाई करने के साथ ही उन पर एक तय समयसीमा में फैसला देने का सुझाव भी दिया गया है।

FRIDAY, 20 APRIL 2018
NEW DELHI

48 MPs, MLAs have cases of crime against women, says ADR report

New Delhi: In the wake of a national reckoning on the difficult path to justice for women and girls in Kathua and Unnao, a new report says cases related to crimes against women are pending against 48 sitting legislators, three of whom have unresolved charges under rape. Among the 48, three are currently members of parliament (MPs) while the remaining 45 are members of legislative assembly (MLAs) state assemblies across the country, according to the report released on Thursday by election watchdog Association for Democratic Reforms (ADR).

AJAI SREEVATSAN & ASHWAQ MASOODI

पंजाब केसरी
DELHI
20 अप्रैल, 2018 शुक्रवार

48 सांसदों, विधायकों पर दर्ज हैं महिलाओं के प्रति अपराध के सर्वाधिक मामले

एजेंसी/नई दिल्ली

देश के करीब 48 सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध के मामले दर्ज हैं और इनमें भाजपा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा 12 है। बलात्कार की घटनाओं को लेकर देश भर में जारी आक्रोश के बीच एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है। इनमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव का मामला शामिल है जिसमें सत्तारूढ़ दल (भाजपा) का एक विधायक आरोपी है। साथ ही जम्मू - कश्मीर के कठुआ और गुजरात के सूरत में हुई बलात्कार की घटनाएं भी शामिल हैं। एसोसियेशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, '' अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा करने वाले 1,580 (33 प्रतिशत) सांसदों/विधायकों में से 48 ने अपने खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध के मामले दर्ज होने की घोषणा की है।'' इसमें कहा गया , '' ऐसे गंभीर मामले हैं जिनमें अदालत ने आरोप तय कर दिए और संज्ञान लिया। इसलिए राजनीतिक दल एक तरह से इस तरह की घटनाओं से जुड़ी परिस्थितियों को बढ़ावा देते हैं जबकि वह संसद में इन्हीं घटनाओं की जोरदार तरीके से निंदा करते हैं। '' प्रमुख दलों में पिछले पांच सालों में भाजपा ने इस तरह के सबसे ज्यादा 47 उम्मीदवारों को टिकट दिए।

सांसदों / विधायकों के

4896

चुनाव हलफनामे में से 4,845 के विश्लेषण पर आधारित है। इनमें सांसदों के 776 हलफनामों में से 768 और विधायकों के 4,120 हलफनामों में से 4,077 का विश्लेषण किया गया। सभी प्रमुख राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध खासकर बलात्कार के मामले दर्ज हैं और इस तरह से वे नागरिकों के रूप में महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा को प्रभावित कर रहे हैं।

05 सालों में लोकसभा , राज्यसभा और प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 118 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज होने की घोषणा की।

45 विधायक और तीन सांसद शामिल हैं जिन्होंने इस तरह के अपराधों से जुड़े मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इन मामलों में शील भंग करने के इरादे से किसी महिला पर हमला, अपहरण या शादी, बलात्कार, घरेलू हिंसा एवं मानव तस्करी के लिए मजबूर करने से संबंधित मामले शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पार्टीवार भाजपा के सांसदों/विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा (12) है। शिवसेना (सात) और तृणमूल कांग्रेस (छह) आते हैं।

सांसद-विधायकों का राज्यवार ब्यौरा

राज्यवार दृष्टि से महाराष्ट्र में इस तरह के सांसदों/विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा (12) है और इसके बाद क्रमश: पश्चिम बंगाल (11), ओडिशा (पांच) और आंध्र प्रदेश (पांच) आते हैं। एडीआर और नेशनल एलेक्शन वॉच (न्यू) ने सिफारिश की है कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक हो। साथ ही राजनीतिक दल उस मानदंड का खुलासा करे जिसके आधार पर उम्मीदवारों को टिकट दिए जाते हैं तथा सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई तेज की जाए एवं उनमें समयबद्ध तरीके से फैसला हो।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83/ रजि. नं. DL(N)/0169/2015-17
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200, (011-30712303 Magazine).
मॉडम : 011-30712255, 30712386, 27192678, 011-45212255, 45212386
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384., 011-45212383, 84
Email: editorial@punjabkesari.com
जयपुर कार्यालय :
फोन आफिस : 0141-2707530, 2705446, 9928022701 से 9928022704 (4 लाइन्स)
फैक्स : 0141-2707835
मॉडम : 0141-2707773, 2712373
स्वत्वाधिकारी हिन्द समाचार लिमिटेड पक्का बाग, जालन्धर के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक विजय कुमार द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली, गोल्डरेज प्रिंटर, प्लाट नं. 5-सी, झालाना डूंगरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

हिन्दुस्तान नई दिल्ली • शुक्रवार • 20 अप्रैल 2018 •

एडीआर रिपोर्ट

देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 48 माननीय आरोपी

महिलाओं और बच्चियों के प्रति बढ़ते अपराध के खिलाफ समाज में गुस्सा है और जनता सख्त कानून बनाने की मांग कर रही है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की गुरुवार को प्रकाशित रिपोर्ट की मानें तो जिन विधायिकाओं पर कानून बनाने की जिम्मेदारी है, उनमें 48 माननीय ऐसे बैठे हैं, जो खुद महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुकदमों का सामना कर रहे हैं।

3 सांसद (दो लोकसभा और एक राज्यसभा) महिला अपराध के आरोपी

चिंताजनक स्थिति

45 विधायक महिला उत्पीड़न के आरोपी होने के बावजूद विभिन्न विधानसभाओं में मौजूद हैं

3 विधायकों पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा चल रहा है

महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे अधिक संख्या

12 विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूद, जिनपर महिला अपराध का मुकदमा

11 विधायक पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी महिलाओं के प्रति हिंसा के आरोपी

2 विधायक बिहार विधानसभा में हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुकदमा लड़ रहे

- **5-5** दागी विधायक ओडिशा और आंध्र विधानसभा में, 3-3 झारखंड और उत्तराखंड में
- **403** सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक विधायक महिला संबंधी अपराध का आरोपी

पांच साल में कितनों ने आजमाई किस्मत

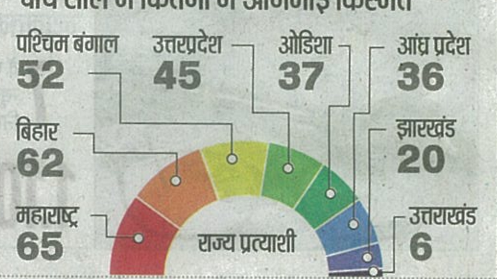

कैसे-कैसे अपराध

- महिलाओं के सम्मान को क्षति पहुंचाने की कोशिश, अपहरण, महिला को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करना
- दुष्कर्म, पति या रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित करना, वेश्यावृति के लिए नाबालिग की खरीद-फरोख्त आदि।

कोई पीछे नहीं

327 महिला अपराध करने के आरोपियों को विभिन्न पार्टियों ने पांच साल में टिकट दिया

118 प्रत्याशी, महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुकदमा लड़ते हुए चुनाव में उतरे

5 वर्षों में पार्टियों ने 26 ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जिनपर दुष्कर्म का गंभीर मामला चल रहा था

नतीजों का आधार

- **776** सांसदों में से **768** सांसदों की ओर से हलफनामा जमा कराया गया। इस हलफनामे का विश्लेषण किया गया।
- **4120** विधायकों में से **4077** विधायकों द्वारा दिए गए हलफनामे की भी बारिकी से जांच कराई गई।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 20 अप्रैल 2018

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय जागरण

48 सांसदों व विधायकों पर महिला उत्पीड़न के मामले

नई दिल्ली, प्रेट्र : दुष्कर्म की वारदातों से सारे देश में क्षोभ है। राजनीतिज्ञ आरोप मढ़कर एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका जाया नहीं कर रहे, लेकिन एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 48 सांसदों व विधायकों पर महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। इनमें सबसे ज्यादा भाजपा के 12 नेताओं पर इस तरह के मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट कहती है कि राजनीतिक दलों से कहा गया है कि वे ऐसे नेताओं को टिकट न दें, लेकिन फिर भी चलन जारी है।

एडीआर ने मौजूदा 1580 सांसद व विधायकों (कुल का 33 फीसद) के खिलाफ दर्ज मामलों की पड़ताल की। 48 के खिलाफ महिला उत्पीड़न के मामले मिले। इनमें 45 विधायक व तीन सांसद शामिल हैं। ये सभी महिला की अस्मिता से खिलवाड़ करने, दुष्कर्म, घरेलू हिंसा व जबरन विवाह करने के मामलों में आरोपी हैं। सबसे ज्यादा 12 नेता इनमें भाजपा के हैं, जबकि शिवसेना के सात व तृणमूल के छह नेता इसमें शामिल हैं। पिछले पांच सालों की बात की जाए तो इनमें भाजपा ने ऐसे 47, बसपा ने 35, कांग्रेस ने 24 नेताओं को टिकट दिए। थिंकटैंक की रिपोर्ट 4845 चुनावी हलफनामों के अध्ययन पर आधारित है।

अड़तालीस 'सम्माननीयों' पर दर्ज हैं महिलाओं के प्रति जुर्म के मामले

नई दिल्ली, 19 अप्रैल (भाषा)।

देश के करीब 48 सांसदों व विधायकों के खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध के मामले दर्ज हैं और इनमें भाजपा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। बलात्कार की घटनाओं को लेकर देशभर में जारी आक्रोश के बीच एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इनमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव का मामला शामिल है, जिसमें भाजपा का एक विधायक आरोपी है। साथ ही जम्मू-कश्मीर के कठुआ और गुजरात के सूरत में हुई बलात्कार की घटनाएं भी शामिल हैं।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा करने वाले 1,580 सांसदों/विधायकों में से 48 ने महिलाओं के प्रति अपराध के मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इनमें 45 विधायक और तीन सांसद शामिल हैं, जिन्होंने इस तरह के अपराधों से जुड़े मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इन मामलों में शील भंग करने के इरादे से किसी महिला पर हमला, अपहरण या शादी, बलात्कार, घरेलू हिंसा व मानव तस्करी के लिए मजबूर करने से संबंधित मामले शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया कि पार्टीवार भाजपा सांसदों/विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा (12) है। इसके बाद शिवसेना (सात) और तृणमूल कांग्रेस (छह) आते हैं। रिपोर्ट मौजूदा सांसदों/विधायकों के 4,896 चुनाव हलफनामे में से 4,845 के विश्लेषण पर आधारित है। इनमें सांसदों के 776 हलफनामों में से 768 और विधायकों के 4,120 हलफनामों में से 4,077 का विश्लेषण किया गया। इसमें कहा गया कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं, जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध खासकर बलात्कार के मामले दर्ज हैं और इस तरह से वे नागरिकों के रूप में महिलाओं की सुरक्षा व गरिमा को प्रभावित कर रहे हैं।

इसमें कहा गया कि ऐसे गंभीर मामले हैं, जिनमें अदालत ने आरोप तय कर दिए और संज्ञान लिया। इसलिए राजनीतिक दल एक तरह से इस तरह की घटनाओं से जुड़ी परिस्थितियों को बढ़ावा देते हैं, जबकि वह संसद में इन्हीं घटनाओं की जोरदार तरीके से निंदा करते हैं। राज्यवार दृष्टि से महाराष्ट्र में इस तरह के सांसदों/विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा (12) है और इसके बाद पश्चिम बंगाल (11), ओड़ीशा (पांच) और आंध्र प्रदेश (पांच) आते हैं।

एडीआर और नेशनल एलेक्शन वॉच (न्यू) ने सिफारिश की है कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक हो। साथ ही राजनीतिक दल उस मानदंड का खुलासा करें, जिसके आधार पर उम्मीदवारों को टिकट दिए जाते हैं व सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई तेज की जाए, उनमें समयबद्ध तरीके से फैसला हो।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 20 अप्रैल 2018

एक रिपोर्ट: 45 विधायकों और 3 सांसदों में 12 हैं सत्ताधारी पार्टी के

'बीजेपी नेताओं के खिलाफ सबसे ज्यादा दर्ज हैं महिलाओं से अपराध के मामले'

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

ऐसे समय में, जब महिलाओं से जुड़े अपराध का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है और इसके लिए कड़ा कानून बनाने की मांग उठ रही है, खुद कानून बनाने वाले ही महिला अपराध से जुड़े गंभीर मुकदमों का सामना कर रहे हैं। कुछ लॉ मेकर तो रेप और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर मामले तक झेल रहे हैं। इन मामलों में शील भंग करने के इरादे से किसी महिला पर हमला, अपहरण या शादी, रेप, घरेलू हिंसा एवं मानव तस्करी के लिए मजबूर करने से संबंधित मामले शामिल हैं। चुनाव सुधार की दिशा में काम करने वाली संस्था एडीआर (एसोसिएशन ऑफ डेमाक्रैटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद और विधायकों के खिलाफ इससे जुड़े केस लंबित हैं। वहीं, शिवसेना और टीएमसी दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। एडीआर और नैशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) ने सिफारिश की है कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक हो।

मालूम हो कि वर्तमान में यूपी के बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर एक नाबालिग लड़की से रेप करने के आरोप में बड़ा सियासी विवाद हो रहा है।

क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों को टिकट देने में भी बीजेपी अव्वल

- बीजेपी के 12 सासंदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। वहीं, शिवसेना के 7 और टीएमसी के 6 विधायकों पर महिला अपराध से जुड़े मामले दर्ज हैं।
- जिन 1,580 एमपी-एमएलए के केस की जांच की गई, उनमें 48 ने अपने ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित केस होने की बात कबूली। इनमें 45 एमएलए और 3 एमपी हैं।
- 327 ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव में सभी प्रमुख दलों ने टिकट दिया।
- पिछले 5 वर्षों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 47 ऐसे केस के आरोपियों को टिकट दिया है। दूसरे नंबर पर बीएसपी है, जिसने ऐसे 35 उम्मीदवारों को टिकट दिए। 24 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर है।
- महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा ऐसे अपराध के आरोपी नेता हैं। इनकी संख्या 12 है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर है।
- आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार के एक-एक एमएलए ने अपने खिलाफ रेप के आरोप की बात मानी है।

The Statesman
NEW DELHI, FRIDAY 20 APRIL 2018

ADR report reveals empty talks of politicians

48 MPs, MLAs have declared cases of crime against women with BJP having the highest number of such politicans at 12, says a report

PTI
NEW DELHI, 19 APRIL

At least 48 MPs and MLAs have declared cases related to crime against women, with BJP having the highest number of such politicans at 12, a report said today amid a nation-wide outrage over rape incidents, including in UP's Unnao where a ruling party lawmaker is an accused.

"Out of 1,580 (33 per cent) MPs/MLAs analysed with declared criminal cases, 48 have declared cases related to crime against women," as per the report by Association for Democratic Reforms (ADR).

This includes 45 MLAs and 3 MPs, who have declared cases of crime against women such as charges related to assault of woman with intent to outrage her modesty, kidnapping, abducting or inducing woman to compel her to marriage, rape, domestic violence and trafficking, the Delhi-based think-tank said.

Giving party-wise details, the report said that BJP has the highest number of MPs and MLAs ie 12, followed by Shiv Sena (7) and Trinamool Congress (6) who have declared cases related to crime against women.

The report is based on an analysis of 4,845 out of 4,896 election affidavits of current MPs and MLAs. This includes 768 out of 776 affidavits of MPs and 4,077 out of 4,120 MLAs across the country.

"All major political parties give tickets to candidates with cases of crime against women especially rape and therefore hindering the safety and dignity of women as citizens.

"These are serious cases where charges have been framed and cognisance have been taken by the courts. Hence, political parties have been in a way abetting to circumstances that lead to such events that they so easily but vehemently condemn in Parliament," the report said.

Among states, Maharashtra has the highest number of MPs and MLAs (12), followed by West Bengal (11), Odisha and Andhra Pradesh each with five MPs and MLAs who have declared cases related to crime against women.

ADR and National Election Watch (NEW) have recommended that candidates with serious criminal background should be debarred from contesting elections. Also, political parties should disclose the criteria on which candidates are given tickets and that cases against MPs and MLAs should be fast-tracked and decided upon in a time-bound manner, they added.

According to the report, in the last five years, recognised parties have given tickets to 26 candidates who had declared cases related to rape. During this period, 14 independent candidates with declared cases related to rape have contested for Lok Sabha, Rajya Sabha and state assembly elections.

As per the analysis, 327 candidates who had declared cases related to crime against women were given tickets by recognised political parties. Also, 118 independent candidates with declared cases related to crime against women had contested for Lok Sabha, Rajya Sabha and state assembly elections in the last five years.

Among major parties, in the last five years, 47 candidates with declared cases related to crime against women were given tickets by BJP. As many as 35 such candidates were given tickets by BSP, followed by 24 from Congress. The candidates had contested in Lok Sabha, Rajya Sabha and state assembly polls.

The report also noted that among states, in the last five years, Maharashtra had the highest number of such candidates at 65, followed by Bihar (62) and West Bengal (52) (including independents).

The analysis comes at a time when there are rising rape incidents, including those reported from Kathua in Jammu and Kashmir, Unnao and Surat in Gujarat.

The real face

- The report says 45 MLAs and 3 MPs have declared cases of crime against women such as charges related to assault of woman with intent to outrage her modesty, kidnapping, abducting or inducing woman to compel her to marriage, rape, domestic violence and trafficking

- Giving party-wise details, the report said that BJP has the highest number of MPs and MLAs (12), followed by Shiv Sena (7) and Trinamool Congress (6) who have declared cases related to crime against women

BJP MPs, MLAs top on gender crime list

By **Anand Kumar Patel** in New Delhi

BJP chief Amit Shah and Cong prez Rahul Gandhi.

DURING the 2014 hustings, Narendra Modi had promised to set up a panel to probe pending criminal cases against new MPs if he became Prime Minister, but ironically after coming into power at the Centre, the saffron party has the highest number of MPs and MLAs with declared cases related to crimes against women.

According to an Association for Democratic Reforms (ADR) study released on Wednesday, out of 1,580 MPs and MLAs analysed with declared criminal cases, 51 MPs and MLAs have declared cases of crimes against women, including of alleged rape and abduction.

Of the 51, 48 are MLAs and three are MPs, according to the study by the NGO, which works for electoral reforms. The BJP tops the list 14, followed by the Shiv Sena at seven and the All India Trinamool Congress (TMC) at six. ADR and National Election Watch have analysed 4,852 of 4,896 election affidavits of current MPs and MLAs. This includes 774 of 776 affidavits of MPs and 4,078 of 4,120 MLAs from all states of India.

"There are 51 MPs and MLAs who have declared cases of crime against women such as charges related to assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty, kidnapping, abducting or inducing woman to compel her marriage, rape, husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty, buying minor for purposes of prostitution and word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman," said the study.

According to the study, 327 candidates who had declared cases related to crimes against women were given tickets by recognised political parties.

Among major parties in the last five years, the BJP has givent tickets to 47 such candidates. The second highest number of candidates — 35 — who had declared cases related to crimes against women were given tickets by Bahujan Samaj Party (BSP), followed by 24 candidates from Congress who had contested for Lok Sabha and Rajya Sabha and state assemblies in the last five years.

In the last five years, recognised parties have given tickets to 26 candidates who had declared cases related to rape.

> In the last five years, parties have given tickets to 26 candidates who had declared cases related to rape

Following are three MLAs who have declared declared cases related to rape against them: Gonuguntla Suryanarayana from Telugu Desam Party, who won from Dharmavaram constituency in Andhra Pradesh in 2014; Jethabhai G Ahir from the BJP, who won from Shehra constituency in Gujarat in 2017 and Gulab Yadav from RJD, who won from Jhanjharpur constituency in Bihar in 2015.

Among these candidates, 40 were given tickets by parties for LS or RS elections. Various recognised parties have given tickets to 294 candidates with cases related to crimes against women for state assembly elections. The analysed 122 independent candidates with declared cases related to crimes against women had contested for the LS or the RS and state assembly polls in the last five years.

In the last five years, 19 such independent candidates contested in the LS and RS elections. Similarly, 103 such independent candidates contested in state assembly polls.

Among the states, Maharashtra has the highest number of such MPs and MLAs with 12, followed by West Bengal (11) and Odisha (six). Also, Maharashtra has the highest number of candidates (65) in the last five years followed by Bihar (62) and West Bengal (52) who were given tickets by political parties even though they had such declared cases, the study added.

CRIME AGAINST WOMEN (BY MPs AND MLAs)

BJP	Shiv Sena	TMC
14	7	6

327 CANDIDATES DECLARED CASES RELATED TO CRIME AGAINST WOMEN

BJP	BSP	Cong
47	35	24

CONGRESS 218 CONTESTANTS IN KARNATAKA

91% CROREPATI CANDIDATES	32% CRIMINAL RECORDS

OTHER CRIMINAL CANDIDATES

JD(S)	BJP
29%	27%

Cong K'taka list full of black sheep

By **Anand Kumar Patel** in New Delhi

IN THE poll-bound state of Karnataka, Congress has given tickets to 91 per cent crorepati candidates and 32 per cent with criminal records in its list of 218 contestants announced so far, according to the ADR.

The BJP has 27 per cent and the Janata Dal (Secular) 29 per cent candidates with criminal records who are recontesting.

Both parties have announced 111 candidates and 58 tickets have been given to such recontesting candidates.

The average asset of recontesting candidates of Congress is ₹28 crore while that of the BJP is ₹8 crore and the JD(S) ₹14 crore. The BJP has given tickets to 97 crorepati candidates who are recontesting while the JD(S) 46.

> BJP and JD(S) have announced 111 candidates

Of the 148 recontesting candidates of the Congress, 48 have declared criminal cases against them. The BJP has given 111 tickets to recontesting candidates out of which 30 have criminal cases pending. While 17 of 58 candidates of the JD(S) have criminal cases against them, both Congress and JD(S) have 16 per cent of recontesting candidates with serious criminal cases against them. The BJP has 17 per cent of such candidates.

A total of 154 candidates have been announced by BJP in its two lists released so far. The first list was released on April 8 and second on April 16. Of these, 111 candidates had contested, including the 44 recontesting MLAs.

A first list of 218 candidates was announced by Congress. Of these, 148 candidates had contested, including the 112 recontesting MLAs. A first list of 126 candidates was announced by the JD(S) where 58 had contested, including the 27 recontesting MLAs.

The ADR and Karnataka Election Watch analysed the affidavits of these candidates submitted by them during elections to Karnataka assembly and any subsequent by-elections later. The ADR said that the latest information regarding assets as well as criminal charges, if any, would be available once the candidates file their affidavits for the 2018 Karnataka Assembly elections.